ISSN No. : 2394-0344 **REMARKING :** VOL-1 * ISSUE-5*October-2014

आज के परिप्रेक्ष्य में नारी, सम्मान व दृष्टिकोण

Dear Author,
Please provide **ABSTRACT**, **KEY WORDS and REFERENCES must be in MLA pattern**, for this paper with the proof urgently otherwise your paper may be transfer for next issues untill above are recieved.

अनुराधा सिंगोरिया
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन, म.प्र.

सारांश

मुख्य शब्द : Please Add Some Keywords

प्रस्तावना

आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ये असमानता सामाजिक विभेदीकरण का एक रूप है। विभेदीकरण का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य का आयु, लिंग, बुद्धि, योग्यता व क्षमता क भिन्न होना। ये भिन्नता ही देश व समाज की प्रगति का मूल है। इस विभेदीकरण में मानव समाज के सृजन व अस्तित्व क बीज छिपे हुए है। से प्रकृति द्वारा तय है किन्तु जैसा कि हम प्रत्येक क्षेत्र में प्रकृति का उल्लघंन कर रहे है; ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक विभेदीकरण को समाज पर गलत रूप से लागू कर आधी आबादी को कई सदियों पीछे धकेल रखा हैं।

सृष्टि के रचनाकार ने स्त्री और पुरूष का सृजन कर मानव का अस्तित्व बनाए रखा। इस विभेदीकरण में स्त्री को कोमलांगी व पुरूष को शक्तिशाली की उपमा दी है, किन्तु प्रकृति का न्याय देखिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के खाली स्थान को विशेष योग्यताओं से भर दिया। एक स्त्री जो प्रत्येक अवस्था में चाहे वह बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, मित्र हो हर स्थिति में माँ है। इतनी सारी भूमिकाओं का निर्वाह इतनी सरलता व सफलता से निभाना कितना अद्भूत है।

किन्तु पुरूष प्रधान समाज उसकी इस भलमानसाहत के बदले में उसे क्या देता है, तिरस्कार, अपमान, उसके स्वाभिमान के जर–जर कर देना। समस्या तब ओर भी ज्यादा गहरा जाती है, जब केवल पुरूष ही महिला का तिरस्कार नहीं करता बल्कि स्वयं महिलाएँ जिन पर पुरूष प्रधान मानसिकता हावी है, वे स्त्री का शोषण करने में पुरूष से भी आगे हो जाती है। हरिवंश राय बच्चन कहते है कि मेरे अंदर का स्त्रीत्व ही मुझसे काव्य रचना करवाता है। मोक्ष के द्वार पर खड़े सन्यासी में भी स्त्रेण गुण जैसे–ममत्व, सहिष्णुता, सद्भाव गुणों में पूर्णता आने पर ही वह मोक्ष पा सकता है, किन्तु ऐसा लगता है कि स्त्री का पुरूषत्व उसे स्त्री पर अत्याचार (मानसिक, सामाजिक) करना सीखाता है।

ससुराल पक्ष से परेशान बेटी जब अपनी माँ से दुर्व्यवहार की शिकायत करती है, तो माँ ही उसे निभाने व एडजस्ट (।करनेज) करने की सलाह देती है। भले ही उसकी हत्या कर दी जाए या वह स्वयं अपनी हत्या के लिए प्रेरित हो जाए। किन्तु घर की इज्जत बनी रहे।

कार्यस्थल पर सहकर्मी पुरूष, साथी महिलाओं के प्रति उचित विचार नहीं रखते । यदि वे अवकाश ले तो उसे बहाना करार दिया जाता हैं। मेटरनिटी लीव ;डमजमतदपजल स्मंअमद्ध तो वे हजम ही नहीं कर पाते। जबकि मानव अधिकार जो हमारे देश पर भी लागू है, में व्यक्ति को विश्राम करने एवं निर्धारित सवैतनिक अवकाश लेने का अधिकार है। अफ़सोस इस आधी आबादी को मानव ही नहीं समझा जाता है।

मानव अधिकार के घोषणा पत्र में अन्य बिन्दु है–इस संविधान में सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं, उनके अधिकार समान है। कानून के सामने सभी समान है। कोई व्यक्ति अन्य के साथ अमानवीय व्यवकार नहीं कर सकता। सभी को शान्तिपूर्वक भाषण देने, अपने विचार व्यक्त करने और घूमने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता हैं। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। शारीरिक,

मानसिक रूप से विकासात्मक कार्य करने का अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन का भी उल्लेख है।

किन्तु इन मानव अधिकारों व मूल अधिकारों तक स्वयं पढ़ी–लिखी महिलाओं की भी पहुँच नहीं है। इनका खुला उल्लंघन समाज के हर क्षेत्र में किया जाता है।

समाज का अतिआधुनिक हिस्सा सिनेमा जगत जो कुछ–कुछ हमारे समाज का दर्पण है। वर्षों पूर्व सुश्री लता मंगेशकर को समान पारिश्रमिक हेतु लड़ना पड़ा था, जिसमें अंततः उनकी विजय हुई।

आज भी विडम्बना देखिए कि फिल्म जगत, उसके दर्शकों के लिए बूढ़ा अमिताभ बूढ़ा नहीं होता, उनकी उम्र की आधी माधुरी दीक्षित हमें मोटी और बूढ़ी दिखाई देती है। ओर तो ओर यहाँ पुरूष ही मैकअप आर्टिस्ट होते थे, इस नियम के विरूद्ध ही हाल ही मे लंबी कानूनी लड़ाई चारू खुराना ने जीती हैं। इस फैसले के बाद महिलाएँ भी मैकअप आर्टिस्ट हो सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इतना शिक्षा प्रचार–प्रसार, इतनी योजनाओं के बावजूद बालिका शिक्षा अधर में ही है। महिला साक्षरता और पुरूष साक्षरता के बीच 16.68: अंतर है। मिडिल–हाईस्कूल के बाद इनका ड्राप–आउट रेट बढ़ जाता हैं। कारण घरवालों की दलील कि उसे चूल्हा–चौकी ही तो सम्हालना है। दूसरा शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा का स्कूलों मे अभाव। यदि उसी स्कूल है भी तो कॉमन। हमारे महाविद्यालय में महिला स्टॉफ के लिए अलग से सुविधाघर नहीं है।

"शिक्षा के इस मंदिर मे 3 साल की बच्ची से साथ दुष्कर्म, एक शिक्षक द्वारा 32 बच्चियों के साथ दुष्कर्म। अब यहाँ भी गजब देखिए कि पुरूष अपनी दृष्टि को पवित्र नहीं रखें और सारी नैतिकता या दुष्कर्म का ठिकरा पीड़िता पर फोड़ दिया जाए। जैसे दुष्कर्म का कारण लड़कियों के कपड़ों को ठहराना कितना उचित है। एक तो पीड़िता जो रही सही शक्ति जुटाए लड़ने के लिए और समाज ही उसे पस्त किए देता है। दिल्ली पुलिस का कपड़ों पर हाल का बयान जो दुष्कर्म का कारण कपड़ों को ठहराता हैं, मुझे तो लगता है कि आजादी के 67 वर्षों बाद भी आजादी स्त्रिओं को नहीं, बल्कि अपराधियों को मिली है। स्त्रियाँ पुरूषों के गुलाम, पुरूष तथा पुरूष प्रधान मानसिकता की स्त्रियाँ पुरानी, सड़ी–गली परम्पराओं की गुलाम है।

सुधामूर्ति कहती है–"भारत में पुरूष तब अक्सर चिढ़ जाते है जब महिला उनसे प्रश्न करे, वे असहज हो जाते है। वे ऐसी महिलाओं को पसंद करते है जो उनसे प्रश्न न करे व हर बात मे हामी भरे, किन्तु अब यह ढ़र्रा बदल रहा हैं।"

देश में हर साल हिंसा से 30,000 मामलें दर्ज होते है। निश्चित ही निर्भया काण्ड के बाद पीड़िताओं के प्रति दृष्टिकोण मे बदलाव हुआ। किन्तु उसके बाद भी गणमान्य नेताओं ने ऊल–जलूल बयान दिए।

स्वास्थ्य की निम्न सुविधाओं का भी सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं पर ही होता हैं। जैसे अभी नसबंदी की घटना प्रकाश में आई, क्योंकि नसबंदी का सीधा टारगेट महिलाएँ ही होती है। पुरूष नसबंदी करवाना पुरूष अपना अपमान समझते है।

इन सबके बावजूद स्त्रिओं के जीवन का एक सकारात्कम पक्ष यह है कि किसी भी देश में स्त्री का देवी या ईश्वर तुल्य नहीं माना गया है, जैसा कि भारत मे । भारतीय लड़कों को पश्चिमी विचारधारा के लोग डंउउंइे ठवल कहते है। दुनिया के किसी देश मे स्त्रिओं का भावात्मक व सांस्कृतिक रूप से इतना ऊँचा स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जितना भारत में।

1. निर्भया काण्ड के बाद दुष्कर्म के मामले पुलिस थानों में दर्ज होने लगे है।
2. पीड़िता के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया जाने लगा।

सुझाव

1. अनेक कानूनों के बावजूद मानसिक बदलाव बदलाव के बिना स्त्राओं की स्थिति निम्न बनी रहेगी।
2. सशक्त महिलाएँ कमजोर महिलाओं के जीवन को दिशा दे। उनकी काउन्सलिंग करे।
3. नैतिक शिक्षा केवल 40 मिनट में पढ़ाई जाने वाली चीज़ नहीं है। यह पारिवारिक संस्कारों से आएगी।
4. अन्याय का त्वरित प्रतिकर करे।
5. परिवार के बच्चों में लैंगिक भेदभाव या लड़कियों मं कमतरी न गढ़े। यदि गढ़ना है तो स्त्री सम्मान के बीज़ रौपे।
6. स्त्रियाँ, पुरूषों पर निर्भर न रहकर स्वविवेक और आत्मविश्वास से काम ले।
7. सभी संस्थाओं व सार्वजनिक स्थानों पर उचित पेयजल, शौचालय की व्यवस्था व रखरखाव का कठोर नियम बनाया जाए, अन्यथा उनकी मान्यता ही निरस्त कर दी जाए।

निष्कर्ष

वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार हुए है। भविष्य में स्त्री पुरूष साक्षरता का अन्तर शून्य हो जाए, यहीं कामना है। आज युवा दंपतियों के संबंध मे स्वामी–दासी नहीं बल्कि मित्रवत संबंध दिखायी देते हैं। ससुराल तथा मायका पक्ष का स्त्री की नौकरी के प्रति सकारात्मक सोच हुई है। घर परिवार के सहयोग से स्त्रियाँ विकास के नए आयाम गढ़ रही है। निम्नलिखित पंक्तियाँ स्त्रिओं की महत्वकांक्षा को भली–भाँति दर्शाती है, उसे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है–

"अपने हिस्से का सूरज तो मुझे चाहिए,
अपने हिस्से के चाँद–तारे भी मुझे चाहिए।
इस धरती से मेरा मन नहीं भरता,
मुझे पूरा आसमान भी अब चाहिए।"

संदर्भ सूची

1 दैनिक समाचार पत्र–पत्रिका– दिनांक 30.10.2014 पृ. क्र. 02
2 दैनिक समाचार पत्र–नई दुनिया
3 जनगणना–2011
4 प्रो. गुप्ता एम.एल.,डॉ. शर्मा डी.डी., समाजशास्त्र, साहित्यमय पब्लिकेशन, आगरा।